न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)
पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं0 03/2018

रामचन्द्र पुत्र हणमानाराम जाति जाट निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—आवेदक

बनाम

रामू उर्फ रामूसिंह उर्फ रामसिंह पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी परसरामपुरा तह0 नवलगढ
—अनावेदक

प्रार्थना पत्र अं.धारा 144 सीपीसी

वकील आवेदक:— श्री सुरेश कुमार सीगड
वकील अनावेदक:— श्री दीपेन्द्रसिह जाखड

निर्णय

निर्णय दिनांक 28.08.2019

अनावेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अनावेदक का दावा उनवानी रामू बनाम झाबर आदि वास्ते घोषणा का माननीय न्यायालय में किया था जिसके मु0नं0 236/99 है जिसका निर्णय न्यायालय हाजा ने दिनाकि 28.12.02 को कर दिया था । उक्त उनवानी वाद में आवेदक के पिता को पक्षकार नही बनाया गया था। न्यायालय में दिनांक 28.12.2002 करे अनावेदक ने जमीन ख.न. 3221/0.88, 3222/0.89 ग्राम परसरामपुरा के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया था। इस निर्णय की पालना मं ख.न. 3221, 3222 ग्राम परसरामपुरा के 1/2 हिस्से की खातेदारी अनावेदक के नाम दर्ज कर दी थी जो रिकार्ड में आज भी अनावेदक के नाम चली आ रही है। आवेदक के पिता ने उक्त दावा उनवानी रामू बनाम झाबर के निर्णय दिनांक 28.12.2002 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी सीकर में अपील की थी जिसका निर्णय दिनांक 29.06.2004 को हो गया, निर्णय के मुताबिक वाद सं0 286/99 का निर्णय दिनांक 28.12.2002 को राजस्व अपील अधिकारी के अनुसार निरस्त कर दिया तथा पत्रावली रिमाण्ड की गई। आदेश दिया कि अपीलान्ट हणमान को पक्षकार बनाते हुये पुनः दोनो पक्षों सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के प्रावधानो का अवलोकन करते हुये तथा वसीयत अथवा गोदनामे की जांच करते हुये पुनः विधि अनुकूल गूणावगुण पर निर्णय पारित करें।

वाद सं0 236/99 के निर्णय दिनांक 28.12.2002 के द्वारा अनावेदक के नाम जमीन का रिकार्ड बन गया था इसके पश्चात राजस्व अपील अधिकारी के कोर्ट ने अपील में 29.06.2004 को निर्णय दिनांक 28.122002 को निरस्त कर दिया इस कारण से जमीन ख.न. 3221, 3222 ग्राम परसरामपुरा के 1/2 हिस्से में अनावेदक की खतोदाररी निर्णय दिनांक 28.12.2002 से दर्ज हो गई थी उसे पुनः पूर्व के खातेदार घासीराम पुत्र फताराम के नाम दर्ज की जानी कानूनन आवश्यक है। धारा 144सीपीसी के प्रावधानों के मुताबिक निर्णय दिनांक 28.12.2002 से पूर्व की स्थिति कायम की जानी कानूनन आवश्यक होने के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अनावेदक ने दावा नं.236/99 को विड्रा करके खारिज दिनिांक 10.11.17 को हो गया है। इसलिये 28.12.02 के पहले की स्थिति वापिस कायम की जानी कानूनन आवश्यक है। अतः निवेदन है कि निर्णय व डिकी दिनांक 28.12.2002 की पालना में ख.न. 3221, 3222 ग्राम परसरामपुरा की जमीन अनावेदक के नाम दर्ज हुई थी उक्त निर्णय व डिकी दिनांक 28.12.02 अंतिम रूप से निरस्त हो गया है एवं उक्त खसरा नम्बर के बाबत राजस्थान के किसी भी न्यायालय में कोई भी मामला लम्बित नही है। इसलिये निर्णय से पूर्व की स्थिति कायम करवाये जाने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। जिसको पेश

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

...र्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रामू बनाम झझबर ... क्रमांक 10.1117 को अंतिम रूप से खारीज हो चुका है इसलिये इस निर्णय के आधार पर दर्ज किया गया नाम रामू दतक पुत्र घीसा के स्थान पर घीसाराम पुत्र फताराम का नाम दर्ज किया जावे। निर्णय दिनांक 28.12.2002 से पूर्व की स्थिति कायम की जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जा कर तलबी अनावेदक की गई। अनावेदक द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर वर्णित किया गया कि आवेदक के पिता को पक्षकार नही नाया जाना भी स्वीकार है क्योंकि आवेदक के पिता हणमानाराम का उक्त दावा में विवादित भूमि से कोई लेन देन व कब्जा काश्त नही है था इसलिये पक्षकार दावा नही बनाया गया था। इस निर्णय की पालना में ख. न. 1321, 1322 रकबा 0.88, 0.89 है0 ग्राम परसरामपुरा में 1/2 हिस्से की खतोदारी अनावेदक के नाम दर्ज किया जाना और रिकार्ड में आज तक दर्ज चली आना स्वीकार है। रेवेन्यु अपील अथोरिटी व राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय में राजस्व रिकार्ड को पुनः धासीराम पुत्र फताराम के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित नही हुआ है तथा ना ही प्रार्थी द्वारा अपनी अपील में उक्त रिकार्ड को चैलेन्ज किया गया था, इसलिये धारा 144 का प्रार्थना पत्र चलने काबिल नही है।

आवेदक का यह कथन गलत है कि कि उक्त खसरा नम्बरान के बाबत राजस्थान के किसी भी न्यायालय में कोई भी मामला लम्बित नही है वास्तविकता यह है कि उक्त खसरा नम्बरान बाबत एक दावा उनवानी झाबर बनाम रामू आदि विचाराधीन है जिसमें आवेदक एवं अनावेदक दोनो पक्षकार हैं एवं दोनो को दावे की जानकारी है व अपने अपने पक्ष की पैरवी कर रहे हैं उक्त वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र झाबर आदि बनाम रामू आदि नम्बरी 240/14 में दिनांक 29.12.14 को उक्त खसरा नम्बरान की भूमि बाबत रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश जारी कर दिये गये थे न्यायालय हाज का उक्त आदेश आज भी प्रभावी है इसलिये मौजूदा प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि के रिकार्ड बाबत किसी तरह का परिवर्तन किये जाने का कोई आदेश पारित नही किया जा सकता, यदि मौजूदा प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि के रिकार्ड बाबत कोई आदेश पारित किया जाता है तो दावा उनवानी झाबर आदि बनाम रामू आदि में मेरिट्स पर व अंतिम निर्णय पर नकारात्मक असर होता है तथा दावे की प्लीडिंग भी बदल जाती है जिससे दावे के नेचर पर असर पडता है। प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि के अन्य खातेदारान को पक्षकार नही बनाया है जबकि अन्य खातेदारान भी आवश्यक पक्षकार है तथा हणमानाराम के भी सभी वारिसान को पक्षकार नही बनाया है जबकि हणमानाराम के सभी वारिसान आवश्यक पक्षकार है जिनको सूने बिना प्रभावी निर्णय नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि इजराय का प्रमाण पेश नही किया गया है। वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण हुआ है। न्यायालय की डिकी के आधार पर नामान्तरकरण नही हुआ है। इसी न्यायालय में झाबर बनाम रामू वाद विचाराधीन है तथा स्टे भी जारी है। स्टे की प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। घीसा पुत्र फताराम के नाम से दर्ज करवाना चाहते हैं जबकि फताराम के नाम से दर्ज करवाना चाहते हैं जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति नही है।

वकील प्रार्थी ने जबाब में निवेदन किया कि स्टे बाबत पूर्व में भी प्रार्थना पत्र पेश किया था जो खारिज हो चुका है। निर्णय शामिल पत्रावली है। पक्षकार बनाये बिना दावा डिकी करवाया था जो अपील में निरस्त हो गया अतः पूर्व स्थिति बहाल की जावे।

बहस, तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा के राजस्व वाद सं0 236/1999 निर्णय दिनांक 28.12.2002 के अनुसार ग्राम परसरामपुरा की भूमि ख.न. 3221/0.88, 3222/0.89 है0 में 1/2 हिस्सा का वादी रामू उर्फ राम दर्फ रामसिंह दत्तक पुत्र घासीराम जाति जाट नि0 परसरामपुरा को तथा शेष 1/2 हिस्से का प्रतिवादीगण झाबर भगवाना केदार पुत्रान चिमनाराम जाति जाट निवासी परसरामपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया।

उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनू के यहां अपील सं0 97/03 पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 29.06.04 के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.12.2002 निरस्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि अपीलान्ट हणमान को पक्षकार बनाते हुये पुनः दोनो पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के प्रावधानो को अवालेकन करते हुये तथा वसीयत

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

... पुनः विधि अनुकूल गणावगुण पर निर्णय पारित
... अतः राजस्व वाद सं0 236/1999 निर्णय दिनांक 28.12.2002 की पालना में दर्ज राजस्व रिकार्ड की निर्णय से पूर्व की स्थिति को बहाल रखा जाना न्यायोचित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम परसरामपुरा के भूमि ख.न. ख.न. 3221/0.88, 3222/0.89 के राजस्व रिकार्ड वाद सं0 236/99 रामू बनाम झाबर में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2002 से पूर्व स्थिति कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.8.19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

... एवं पदेन सहायक कलेक्टर
नवलगढ

Scanned by CamScanner